न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी सांचौर,
जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रकरण सं. 12 / 2023
जीसीएमएच:– 2023 / 161

प्रमाणित प्रतिलिपि/फोटो स्टेट प्रतिलिपि
मुकदमा नं 161/2023
कृष्णाराम बनाम TDR
न्यायालय...... SDO सांचौर
तारीख पेशी फैसला 4/7/24

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1.कृष्णराम चौधरी पुत्र कानजीराम जाति चौधरी निवासी वांक तहसील सांचौर जिला सांचौर (राज.)		1. तहसीलदार भूमिधारी सांचौर जिला सांचौर 2. शॉखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा सांचौर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

तारीख रजू:– 14.12.2023

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सुथार।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से राज पैरोकार, तहसीलादर सांचौर।
3. अप्रार्थी संख्या 02 एक पक्षीय।

निर्णय

दिनांक 04.07.2024

प्रार्थी मय अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मौजा वांक पटवार हल्का सरवाना तहसील सांचौर के खाता संख्या 37 खसरा नम्बर 300 रकबा 4.70 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम प्रार्थी की खातेदारी भूमि आयी हुई है। जिस पर खेतीबाड़ी एवं कब्जाकाश्त प्रार्थी का है तथा गिरदावरी भी प्रार्थी नियमित रूप से अदा करता आ रहा है। प्रार्थी का नाम कृष्णराम चौधरी है। प्रार्थी के उक्त खातेदारी खेत के राजस्व रेकर्ड में भूलवंश कृष्णराम चौधरी के स्थान पर कृष्ण दर्ज हो गया है जबकि कृष्ण नाम प्रार्थी का कभी नहीं रहा। प्रार्थी का सम्मानजन्नक नाम कृष्णराम चौधरी है जो प्रार्थी के आधार कार्ड,पेन कार्ड,बैंक खातों की पास बुक, राजकीय सेवा की सेवा पुस्तिका आदि से साबित है। राजस्व रेकर्ड व प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में नाम भिन्नता की वजह से प्रार्थी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जैसे–संपरिवर्तन कराने, खेत का कृषि आधार अनुदान प्राप्त करने,तारबंदी सब्सिडी व अनुदान तथा भूमि सुधार की अन्य योजनाए आदि। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार सांचौर को आदेश दिया जावे कि मौजा वांक के खसरा नम्बर 300 में प्रार्थी का नाम कृष्ण के स्थान पर कृष्ण राम चौधरी दर्ज किया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2023 दर्ज रजिस्ट्रर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 राज पैराकार ने जबाव पेश कि उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो पर प्राथी स्वयं दस्तोवेज साबित करे। प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड व वास्तविक नाम जो अन्य दस्तावेजों में है उनमें भिन्नता है जिसको दूर कर कृष्ण के स्थान पर कृष्णराम चौधरी किया जाता है तो राज हित प्रभावित नही होगा। अप्रार्थी संख्या 02 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

मिलान कर्ता

बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन–अवालेकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन करते हुए संगत विधिक प्रावधानो का अध्ययन किया गया। । प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ वर्तमान आधार कार्ड,पेन कार्ड,बैंक खातों की पास बुक, राजकीय सेवा की सेवा पुस्तिका की प्रतिया प्रस्तुत की है प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम कृष्णराम चौधरी दर्ज है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारगर्भित एवं भली प्रकार साबित होने से स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

सत्य–प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Scanned with OKEN Scanner

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार सांचौर को आदेश दिया जाता है कि मौजा वांक पटवार हल्का सरवाना तहसील सांचौर के खाता संख्या 37 खसरा नम्बर 300 रकबा 4.70 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम भूमि में दर्ज कृष्ण के स्थान पर कृष्णराम चौधरी दर्ज किया जावे। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर नम्बर से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उक्त आज दिनांक 04.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

मिलान कर्ता

सत्य—प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Scanned with OKEN Scanner